

कोर्स में शामिल होने के निर्देश

कोर्स का ध्येय:- विशेष कौशल को आत्मसात कराना तथा अथक अभ्यास के माध्यम से जवानों की कार्यक्षमता को उच्च स्तर तक पहुँचाना ताकि उनके द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सफलता पूर्वक परिचालन (आप्स) किया जा सके। 07 सप्ताह के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है जिससे प्रशिक्षुओं के टैक्टीकल स्किल को, उनके द्वारा स्वयं को प्रेरित कर अपने आत्मविश्वास के स्तर तक बढ़ाए जहाँ से वे कुशलता पूर्वक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सफल परिचालन कर सकें। प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य परिचालन से संबन्धित बुनियादी टैक्टिक्स की समझ को बढ़ाना ही नहीं अपितु ऐसा लड़ाकू दस्ता तैयार करना है जिसमें कमांडर स्तर तक एक मजबूत टीम भावना का विकास हो सके।

(A) **उद्देश्य:-** प्रशिक्षण का उद्देश्य फिल्ड कमांडर तथा कार्मिकों के सुदृढ़ विकास की उच्च अवस्था को तैयार करना है जो-

- 01) शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाना।
- 02) लाचदार, सहज, आत्मवाचक (Reflexive) तथा समजनीय (Adjustable) बनाना।
- 03) सभी प्रकार के भू-भाग पर नेविगेट करने में प्रवीण बनाना।
- 04) युक्तिपूर्वक तरीके से जमीन का इस्तेमाल करने में माहिर बनाना।
- 05) जंगल क्राफ्ट तथा जंगल की लड़ाई में माहिर बनाना।
- 06) मैप रीडिंग, जी.पी.एस तथा जी.आई.एस में माहिर बनाना।
- 07) स्माल आर्म्स, एरिया वेपन तथा विशेष उपकरण में माहिर बनाना।
- 08) रिफ्लेक्स फायर तथा विभिन्न प्रकार के फायरिंग में दक्ष बनाना।
- 09) बल में उपलब्ध नये हथियार/उपकरण का अच्छा ज्ञान तथा चलाना जानता बनाना।
- 10) विस्फोटक के बारे में बुनियादी जानकारी तथा उसको पहचान, खोजने तथा बर्बाद करने में दक्ष बनाना।

(B) **योग्यता:-** प्रशिक्षु की चिकित्सा श्रेणी शेष-1 हो

(C) **अवधि:-** इस कोर्स की अवधि 07 सप्ताह की होगी। सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण शुरू होने से एक दिन पहले संस्थान में रिपोर्ट करना चाहिए ताकि प्रशिक्षण/कोर्स से संबन्धित औचारिकताएँ समय पर पूर्ण हो सकें।

(D) **ड्रेस तथा उपकरण:-** सभी प्रशिक्षु से संबन्धित निम्न सामग्री/उपकरण अपने साथ लाना सुनिश्चित करें।

क. लाइट बेडिंग (मछरदानी सहित)

ख. पीटी ड्रेस-02 जोड़ी, कमबैट ड्रेस-02 जोड़ी, जंगल शूज-02 जोड़ी, एंक्लेट-02 जोड़ी, जुराब-03 जोड़ी।

ग. पिटठु ।

घ. हैवर सेक, मैगजीन पोच तथा रकसैक ।

(E) **हथियार तथा अम्युनिशन**:- सभी प्रशिक्षुओ को कोर्स हेतु हथियार साथ लाना होगा । फायरिंग अभ्यास हेतु अम्युनिशन तथा एकसप्लोसिव इस संस्थान के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।

(F) **मैस एडवांस**:- सभी प्रशिक्षु को निम्नानुसार मैस एडवांस जमा करना होगा

1. राजपत्रित अधिकारी:- RS. 7000/-

2. अधिनस्थ अधिकारी:- RS. 5000/-

3. अन्य रैंक:- RS. 4000/-

(G) **शिवपुरी में आगमन** :- शिवपुरी, रेल तथा सड़क मार्ग से समुचित रूप से तथा ग्वालियर, इन्दौर, भोपाल तथा झांसी से सड़क मार्ग से समुचित रूप से जुड़ा हुआ है । ग्वालियर तथा झांसी यहां से सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है तथा इनकी दूरी यहाँ से क्रमशः 115 किमी तथा 109 किमी है । शिवपुरी में भी रेलवे स्टेशन है तथा यह ग्वालियर-इन्दौर-भोपाल रेलवे खण्ड से जुड़ा हुआ है लेकिन इस रेल मार्ग पर रेल का आवागमन सीमित संख्या में होती है ।

(H) **स्थान / स्थिति** :- CIAT स्कूल, शिवपुरी रेलवे स्टेशन से 08 किमी की दूरी पर गुना की तरफ NH - 03 पर स्थित है । यह राजमार्ग AB रोड के नाम से भी जाना जाता है । यह संस्थान GR - 25° 27' 03.77" N तथा 77° 38' 52.95" E तथा समुद्र सतह से 1515 फिट (462 मीटर) की ऊंचाई पर स्थित है ।

(I) **मौसम** :- शिवपुरी कर्क रेखा के समीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है । यहाँ ग्रीष्म ऋतु में गर्म तथा सूखा व शीत ऋतु में ठंडा तथा सूखा मौसम होता है । ग्रीष्म की शुरुआत मध्य अप्रैल माह से होकर मध्य जुलाई माह में समाप्त होती है । इस अवधि में तापमान 45 सेल्सियस तथा इसमें ऊपर भी चला जाता है ।

(J) **चिकित्सा प्रमाण पत्र** :- सभी प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोर्स हेतु शारीरिक व मानसिक रूप से फिट घोषित प्रमाण पत्र अपने वार्षिक मेडिकल जाँच रिपोर्ट के साथ संस्थान में आगमन पर प्रस्तुत करेगा ।

(K) प्रशिक्षण से वापसी :-

- क. आवश्यक योग्यात्मक मानदण्ड (क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट) को पूरा न करने वाले अयोग्य कार्मिको को उनके यूनिट में वापस भेज दिया जाएगा ।
- ख. जो प्रशिक्षु चिकित्सीय रूप से अयोग्य अथवा किसी गंभीर रोग से पीडित हो उन्हें कोर्स करने की अनुमति नहीं होगी ।
- ग. प्रशिक्षण के दौरान किसी भी कारण से 04 दिन से अधिक गैर हाजिर होने पर कोर्स से वापस किया जाएगा ।
- घ. प्रशिक्षुओ द्वारा किसी भी प्रकार से की गयी अनुशासनहीनता के कारण उन्हें वापस उनके यूनिट भेजा जा सकता है ।

(L) छुट्टी :- विशेष परिस्थिति को छोड़कर कोर्स के दौरान किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी ।

(M) दस्तावेज :-

- क. संचालन आदेश
- ख. पहचान पत्र
- ग . कोर्स हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र
- घ. हैल्थ कार्ड
- च. वापसी का रेलवे वारंट
- छ. केशलेस भुगतान के लिए एटीएम कार्ड
- ज. 02 पासपोर्ट आकार के फोटो

(N) अन्य :-

1. विलम्ब से रिपोर्ट करनेवाले प्रशिक्षणार्थियों पर कोर्स में शामिल नहीं किया जाएगा।
2. संस्थान के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी एयर वाउचर या रेलवे वारंट वापसी के लिए नहीं दिया जाएगा ।
3. विषय वस्तु से संबन्धित किसी भी अन्य जानकारी के लिए कृपया नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नं. 07492-225700 या Email ID pplciatsvp@crpf.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है ।